न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2015/166** दायर दिनांक **10.09.2015**

वादी		प्रतिवादीगण
1. जमीलअहमद पुत्र स्व0 नसीबदीनखाँ, आयु—40साल, जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोहम्मद बक्स पुत्र स्व0 नियाजुदीनखाँ, आयु—60साल, 2. कमरूदीनखाँ पुत्र स्व0 नियाजुदीनखाँ, आयु—50साल, 3. रजियाबानो पुत्री स्व0 नियाजुदीनखाँ, आयु—58साल, 4. ऐमनाबानो पुत्री स्व0 नियाजुदीनखाँ, आयु—56साल, 5. रहमतबानो पुत्री स्व0 नियाजुदीनखाँ, आयु—55साल, 6. हसीनाबानो पुत्री स्व0 नियाजुदीनखाँ, आयु—56साल, 7. हलीमा पत्नी गुलाब महमदखाँ उर्फ गुलाबखाँ, आयु—75साल, 8. मोहम्मदखाँ पुत्र गुलाब महमदखाँ उर्फ गुलाबखाँ, आयु—43साल, 9. सकीना पुत्री गुलाब महमदखाँ उर्फ गुलाबखाँ, आयु—57साल, 10. सलामत पुत्री गुलाब महमदखाँ उर्फ गुलाबखाँ, आयु—52साल, 11. फातमा पुत्री पुत्र गुलाब महमदखाँ उर्फ गुलाबखाँ, आयु—38साल, 12. सायरा पत्नी इजाजखाँ, आयु—72साल, 13. बिलालखाँ पुत्र इजाजखाँ, आयु—60साल, 14. इकबाल पुत्र इजाजखाँ, आयु—58साल, 15. अलाउदीन पुत्र इजाजखाँ, आयु—53साल, 16. जफरूदीन पुत्र इजाजखाँ,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
(लगातार)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2015 / 166
दायर दिनांक 10.09.2015, निर्णय दिनांक 19.06.2017
जमीलअहमद बनाम् मोहम्मद बक्स, वगैरा।

		आयु–50साल, 17. जोरा पुत्री इजाजखाँ, आयु–56साल, 18. धन्नी पुत्री इजाजखाँ, आयु–47साल, 19. मकसूदा पुत्री इजाजखाँ, आयु–38साल, 20. जेतूनबानो पत्नी नसीबदीनखाँ, आयु–70साल, 21. मोहम्मद लुकमान पुत्र नसीबदीनखाँ, आयु–53साल, 22. मोहम्मद युसुफ पुत्र नसीबदीनखाँ, आयु–51साल, 23. मोहम्मद अयुब पुत्र नसीबदीनखाँ, आयु–47साल, 24. सुफिया पुत्री नसीबदीनखाँ, आयु–58साल, 25. बसीरा पुत्री नसीबदीनखाँ, आयु–56साल, 26. बाना पुत्री नसीबदीनखाँ, आयु–38साल, 27. जायदा पत्नी स्व0 अलाबक्स, आयु–75साल, 28. खलील पुत्र स्व0 अलाबक्स, आयु–53साल, 29. मोहम्मद बक्स पुत्र स्व0 अलाबक्स, आयु–48साल, 30. लाल मोहम्मद पुत्र स्व0 अलाबक्स, आयु–44साल, 31. लुकमान पुत्र स्व0 अलाबक्स, आयु–37साल, 32. ऐमना पुत्री स्व0 अलाबक्स, आयु–58साल, 33. रहमत पुत्री स्व0 अलाबक्स, आयु–40साल, 34. इब्राहिम पुत्र जंवरदीनखाँ, आयु–74साल, 35. सायरा पत्नी हासमदीन, आयु–67साल, 36. रसीद पुत्र हासमदीन, आयु–48साल, 37. जाकीर पुत्र हासमदीन, आयु–40साल, 38. रजाक पुत्र हासमदीन,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना(नागौर)

Scanned by CamScanner

		आयु–34साल, 39. अब्दुल सत्तार पुत्र हासमदीन, आयु–25साल, 40. बिसमिल्लाह पुत्री हासमदीन, आयु–45साल, 41. सुभानी पुत्री हासमदीन, आयु–42साल, 42. जैना पुत्री हासमदीन, आयु–36साल, 43. रमजू पुत्री हासमदीन, आयु–28साल, 44. मोइदीन पुत्र जवरदीनखाँ, आयु–65साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 45. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 46. प्यार मोहम्मद पुत्र उमरखाँ, 47. लाल मोहम्मद पुत्र उमरखाँ, 48. इब्राहिमखाँ पुत्र उमरखाँ, 49. जोमरदीनखाँ पुत्र उमरखाँ, 50. मोहम्मद अली पुत्र उमरखाँ, 51. जेनब बानो पत्नी स्व0 अब्दुल मजीद, 52. मो0 रफीक पुत्र स्व0 अब्दुल मजीद, 53. मो0 लतीफ पुत्र स्व0 अब्दुल मजीद, 54. अब्दुल करीम पुत्र स्व0 अब्दुल मजीद, 55. जुनेज आलम पुत्र स्व0 अब्दुल मजीद, 56. मुन्नी पुत्री स्व0 अब्दुल मजीद, 57. जैबून पुत्री स्व0 अब्दुल मजीद, 58. अब्दुल रहीम पुत्र स्व0 अब्दुल मजीद, 59. गुलाब बानो पुत्री स्व0 अब्दुल मजीद, नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती वलिया माता जैना, 60. अहमद अली पुत्र स्व0 उमरखाँ,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		समस्त,जाति–शेरानी, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो0 अली शेरानी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री मो0 अल्ताफ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **19.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 26 तक एक ही परिवार के वंशज हैं। प्रतिवादीगण संख्या 27 से 45 तक दूसरे दादा के एवं 46 से 60 स्व0 उमर खां के वारिसान हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 20 से 26 तक का इस दावा में हित एक समान हैं। चूँकि इस समय प्रतिवादीगण संख्या 20 से 26 तक के वाद पत्र पर हस्ताक्षर करवाना सम्भव नहीं होने से उनको इस दावे में प्रतिवादी प्रर्फोर्मा पक्षकार बनाया गया है। सभी पक्षकारान् सहखातेदार हैं और ग्राम शेरानीआवाद के निवासी हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण कई सालों से अलग–अलग रहते हैं और अलग–अलग ही खाते–कमाते हैं।

खेत खसरा नम्बर 296 रकबा 10 विघा 11 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर क्रमशः 99, 100, 101 रकबा क्रमशः 06 बिघा 08 बिस्वा, 05 बिघा, 11 बिघा 15 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 271 रकबा 12 बिघा 10 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 13 बिघा 12 बिस्वा, कुल रकबा 59 बिघा 13 बिस्वा, मौजा शेरानीआबाद की सरहद में स्थित है तथा खेत खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बिघा सरहद डाबगॉव में स्थित हैं जिनमें स्व0 नसीबदीनखॉं के हिस्से में 01/04 भूमि आती है मगर राजस्व रिकॉर्ड पटवारी की भूल से स्व0 नसीबदीनखॉं का नाम दर्ज होने से रह गया।

स्व0 आलमखॉं ने अपने जीवनकाल में उपर्युक्त सभी खेतों का बन्टवारा आज से 50 वर्ष पूर्व मौके पर भौतिकरुप से बन्टवारा कर अपने सभी पुत्रों को उनके हिस्से पर काविज कर दिया था। माफिक बन्टवारा सभी भाईयों ने अपना हिस्सा इस प्रकार रखाः–

1. **<u>नियाजुखॉं के हिस्से में</u>**–
   खेत खसरा नम्बर 296 रकबा 10 विघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण।
2. **<u>गुलाबखॉं के हिस्से में</u>**–
   सरहद डाबगॉव में खेत खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बीघा सम्पूर्ण।
3. **<u>इजाजखॉं के हिस्से में</u>**–
   खेत खसरा नम्बर 271 रकबा 12 बिघा 10 बिस्वा।
4. **<u>स्व0 नसीबखॉं के हिस्से में</u>**–
   खेत खसरा नम्बर 101 में दक्षिण दिशा का रकबा 11 बिघा 15 बिस्वा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
(लगातार)

Scanned by CamScanner

6. प्रतिवादीगण संख्या 27 ता 44 के हिस्से में–

खेत खसरा नम्बर 99 व 100 रकबा क्रमशः 06 बिघा 05 बिस्वा व 05 बिघा रखी गई।

खसरा नम्बर 99 रकबा 06 बिघा 08 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 100 रकबा 06 बिघा एवं खसरा नम्बर 101 रकबा 11 बिघा 15 बिस्वा सरहद शेरानीआबाद में स्थित है। उक्त खेतों का मौके पर बन्टवारा हो रखा है और सींवे–नींवे कायम हैं। खसरा नम्बर 101 रकबा 11 बिघा 15 बिस्वा अकेले नसीबदीनखाँ के हिस्से में आया है अन्य खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 व 27 ता 45 का नाम इस खसरे से हटाया जाना आवश्यक है तथा खसरा नम्बर 99 व 100 में स्व0 नसीबदीनखाँ अथवा उसके वारिसान् का नाम दर्ज नहीं किया जावे तो सभी पक्षकारान् को सुविधा रहेगी।

वादी एक मजदूर व्यक्ति है वह खेत को उपजाऊ बनाने हेतु कृषि ऋण लेना चाहता है। वादी संवत् हाल ही में लोन लेने हेतु बैंक गया तो बैंक ने उसे ऐसा कहते हुए लोन देने से इन्कार कर दिया आप सह खातेदारों से सहमति–पत्र लेकर आओ अथवा अलग से खातेदारी की नकल लाने पर लोन देंगे अन्यथा नहीं। वादी एव प्रतिवादीगण का उपर्युक्त खेतों की खातेदारी में सामलाती हिस्सा है इसलिए वादी अपने सहखातेदारों से सहमति–पत्र लाने गया तो उन्होंने इन्कार रि दिया। चूँकि वादी अपने हिस्से को अन्य सहखातेदारों से अलग करवाने का अधिकारी है इसलिए बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा हेतु दावा पेश है।

आलमखाँ की आज से करीब 50साल पहले मृत्यु हो गयी। उनकी फौतगी के बाद उनके चारों पुत्रों का नाम जरिये फौतगी नामान्तरकरण के खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था मगर राजस्व रेकर्ड में पटवारी की भूल से स्व0 नसीबदीनखाँ का नाम दर्ज होने से रह गया, जबकि सम्वत् 2022–2025 की खतौनी में वादी के पिता का नाम नसीबखाँ नाम दर्ज हो गया। पुनः पटवारी की भूल से बिना किसी आधार के राजस्व रेकर्ड से नाम हट गया, जिसकी वर्तमान खतौनी की नकल पेश है। इसलिए वादी के पिता स्व0 नसीबदीनखाँ का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने हेतु यह दावा वास्ते रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश है।

तहसीदार डीडवाना उक्त विवादित भूमि के भूमिधारी होने के कारण उनके विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है मगर दावा बन्टवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से उनको नोटिस देना आवश्यक नहीं है इसलिए यह दावा बगैर नोटिस दिये ही पेश है।

वाद हैतुक संवत् हाल ही में राजकीय रेकर्ड की नकल लेने से दिनांक 07.04.2015 को वादी को जानकारी मिलने तथा बैंक से लोन लेने के सहमति पत्र पर अन्य पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने पर ग्राम शेरानीआबाद में उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

वाद पत्र घोषणा रेकर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से न्याय शुल्क 01 + 01 + 01 कुल 03 रूपये स्टाम्प पर अन्दर मयाद व क्षैत्राधिकार में वाद पेश है।

प्रार्थना वादी है कि–

स्व0 नसीबदीनखाँ का नाम राजकीय रिकॉर्ड में दर्ज करने के उपरान्त उनकी मृत्यु होने के कारण उनके वारिसान् वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 26 के नाम दर्ज किये जावे तथा बन्टवारा वाद वर्णितानुसार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 व 27 ता 45 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 व 27 ता 45 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि दौराने दावा प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी, कब्जा, निर्माण कार्य तथा बैचान, हस्तानान्तरण आदि न तो स्वयं करे और न ऐसा अपने किसी एजेन्ट से करवाए।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 45 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया।

वादी के अधिवक्ता ने इस स्तर पर एक दरख्वास्त आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 का पेश कर जाहिर किया कि खसरा नम्बर 271 व 272 सरहद शेरानी आबाद का वाद में उल्लेख है मगर उसके किसी भी खातेदार को इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिसको सुनकर वाद में उपर्युक्त खातेदार बतौर प्रतिवादीगण संख्या 46 ता 60 को पक्षकार बना कर बन्टवारा कराने की अनुमति दी गयी जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 46 ता 60 को जरिये सम्मन तलब किया गया जिन्होंने सम्मन लेने से इन्कार किया तब तामिल कुनन्दा की रिपोर्ट आबाद मकान पर दो मोतबिरान की मौजूदगी में चस्पानगी की होने से इनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादीगण इकबालिया जवाबपेश कर्त्ता व राजीनामा पेश कर्त्ता के अलावा प्रतिवादीगण बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 13, 15, 28 ता 31, 34, 36 व 44 ने दिनांक 15.10.2015 को अपने मध्य हुए राजीनामा को न्यायालय में पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 13, 15, 28 ता 31, 34, 36 व 44 द्वारा पेश राजीनामा की इबारत् को पढकर पक्षकारान् को सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मो0 अली शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री अल्ताफ हुसैन ने की है। हस्ब बख्वाहिश पक्षकारान् राजीनामा तस्दीक किया।

उपर्युक्त राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक,–

1. <u>वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 20 से 26 तक का हिस्सा</u>–

सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 101 रकबा 11 बिघा 15 बिस्वा में से 11 बिघा 10 बिस्वा। इस खसरे में से प्रतिवादी संख्या 24 ता 26 का नाम हटाया जावे।

2. <u>प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 तक का हिस्सा</u>–

सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 296 रकबा 10 बिघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 का नाम हटाया जावे तथा इस रकबे 1/2 भाग करते हुए इस रकबे का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में तथा उतरादी 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से में रखा जावे, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की भूमि के बीच 16 फिट का रास्ता आने–जाने हेतु रखा जावे तथा नानू खाँ की जगह मोहम्मद बक्ष दुरस्त किया जावे। इस खसरे में से प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06 का नाम हटाया जावे।

3. <u>प्रतिवादीगण संख्या 07 से 11 तक का हिस्सा</u>–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

सरहद डाबगाँव के खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बिघा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के रखा जावे तथा 09 ता 11 का नाम हटाया जावे तथा दर्ज नाम गुलाब महमद खाँ की जगह गुलाब खाँ दुरस्त किया जावे।

4. **प्रतिवादीगण संख्या 12 से 19 तक का हिस्सा–**
सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 272 रकबा 13 बिघा 12 बिघा में प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 व 16 के प्रत्येक 1/4 हिस्सा माफिक राजीनामा के नक्शा अनुसार रखा जावे। प्रतिवादी संख्या 12, 17, 18 व 19 का नाम हटाया जावे। प्रतिवादी इकबाल का नाम मोहम्मद इकबाल दुरस्त किया जावे।

5. **प्रतिवादीगण संख्या 27 से 33 तक का हिस्सा–**
राजस्व रिकॉर्ड में से नाम केवल नाम हटाया जावे।

6. **प्रतिवादी संख्या 34 इब्राहिम का हिस्सा–**
सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 99 रकबा 06.08 बीघा व खसरा नम्बर 100 रकबा 05 बीघा।

7. **प्रतिवादीगण संख्या 35 से 44 तक का हिस्सा–** उपर्युक्त सभी खसरों की संयुक्त खातेदारी में नाम हटाया जावे।

8. **प्रतिवादीगण संख्या 46 से 60 तक का हिस्सा** – खसरा नम्बर 271 रकबा 12.10 बीघा सम्पूर्ण हिस्से में रखी गयी है। प्रतिवादी संख्या 60 हलीमा पत्नी स्व0 उमरखाँ का स्वर्गवास होने के कारण इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाकर प्रतिवादीगण संख्या 46 से 59 का नाम दर्ज किया जावे।

खसरा नम्बर 99, 100 व 101 के बीच में उत्तर–दक्षिण दिशा की लम्बाई में 16 फुट चौड़ाई का रास्ता रखा जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 07, 09 ता 20, 25 ता 27, 32, 35, 40 व 41 अपना इकबालिया जवाब न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि– वादी को उसके हिस्से अनुसार जमीन का बन्टवारा होता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है वे इसमें सहमत हैं व उक्त खसरों में से अगर इकबालिया जवाब पेशकर्त्तागण का नाम हटाया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है एवं खसरा नम्बर 99, 100 व 101 में से 16 फुट का बीच में से उत्तर–दक्षिण रास्ता रहता है तो, स्वीकार है।

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी् की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अधिवक्तागण पक्षकारान्, वादी के वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। अतः जरिये राजीनाम दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार दावा डिक्री सादिर इस कदर किया जाता है कि:–

1. सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 101 रकबा 11 बिघा 15 बिस्वा में से रकबा 11 बिघा 10 बिस्वा का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 20 से 23 तक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष सहखातेदारों का नाम हटाया जाता है व इस खसरे की बची शेष

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.05 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 99, 100 व 101 के बीच उत्तर दक्षिण की लम्बाई में 16 फुट चौड़ाई का रास्ता रहेगा।

2. सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 296 रकबा 10 बिघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इस रकबा का 1/2 भाग का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में तथा उत्तरी 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से में होगा। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की भूमि के बीच 16 फिट का रास्ता आने–जाने हेतु होगा तथा शेष सहखातेदारों का नाम हटाया जाता है, तथा दर्ज नाम नानूखाँ की जगह मोहम्मद बक्ष दुरस्त किया जाता है।
3. सरहद डाबगाँव के खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बिघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 07 व 08 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष सहखातेदारों का नाम हटाया जाता है, एवं दर्ज नाम गुलाब महमद खाँ की जगह गुलाब खाँ दुरस्त किया जाता है।
4. सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 272 रकबा 13 बिघा 12 बिघा में से हिस्सा रकबा 1/4 – 1/4 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष सहखातेदारों का नाम हटाया जाता है, प्रतिवादी इकबाल का दर्ज नाम मोहम्मद इकबाल दुरस्त किया जाता है।
5. सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 99 रकबा 06.08 बीघा व खसरा नम्बर 100 रकबा 05 बीघा की खातेदारी यथावत् रखी जाती है।
6. सरहद शेरानीआबाद के खसरा नम्बर 271 रकबा 12.10 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 46 ता 60 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस खसरे के शेष खातेदारों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **19.06.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/166

दायर दिनांक 10.09.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. जमीलअहमद पुत्र स्व0 नसीबदीनखाँ, आयु–40साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मोहम्मद बक्स पुत्र स्व0 नियाजुदीनखाँ, आयु–60साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act.

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 अली शेरानी, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब राजीनामा नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार दावा डिक्री सादिर इस कदर किया जाता है किः– दिनांक 19.06.2017

1. सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 101 रकबा 11 बिघा 15 बिस्वा में से रकबा 11 बिघा 10 बिस्वा का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 20 से 23 तक को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष सहखातेदारों का नाम हटाया जाता है व इस खसरे की बची शेष रकबा 0.05 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 99, 100 व 101 के बीच उत्तर दक्षिण की लम्बाई में 16 फुट चौड़ाई का रास्ता रहेगा।
2. सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 296 रकबा 10 बिघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इस रकबा का 1/2 भाग का दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में तथा उत्तरी 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से में होगा। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की भूमि के बीच 16 फिट का रास्ता आने–जाने हेतु होगा तथा शेष सहखातेदारों का नाम हटाया जाता है, तथा दर्ज नाम नानूखाँ की जगह मोहम्मद बक्ष दुरस्त किया जाता है।
3. सरहद डाबगाँव के खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बिघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 07 व 08 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष सहखातेदारों का नाम हटाया जाता है, एवं दर्ज नाम गुलाब महमद खाँ की जगह गुलाब खाँ दुरस्त किया जाता है।
4. सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 272 रकबा 13 बिघा 12 बिघा में से हिस्सा रकबा 1/4 – 1/4 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष सहखातेदारों का नाम हटाया जाता है, प्रतिवादी इकबाल का दर्ज नाम मोहम्मद इकबाल दुरस्त किया जाता है।
5. सरहद शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 99 रकबा 06.08 बीघा व खसरा नम्बर 100 रकबा 05 बीघा की खातेदारी यथावत् रखी जाती है।
6. सरहद शेरानीआबाद के खसरा नम्बर 271 रकबा 12.10 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 46 ता 60 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस खसरे के शेष खातेदारों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner